संख्या– 90 / 11–6–22–एम(01) / 2020

प्रेषक,

ओ०पी० तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

राज्य कर अनुभाग–6

लखनऊः दिनांकः 03 जून, 2022

विषयः फिल्म "सम्राट पृथ्वीराज" को प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फिल्म "सम्राट पृथ्वीराज" को मल्टीप्लेक्सों / सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या–612 / 11–6–2017–एम(43) / 17 दिनांक 09.08.2017 में उल्लिखित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) फिल्म के प्रदर्शन के लिये सम्बंधित सिनेमा / मल्टीप्लेक्स की प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न श्रेणी के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

(2) प्रदेश में, फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट–वीक की समय सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति इस प्रकार की जा सकेगी कि फिल्म की संख्या एवं सप्ताह की संख्या का गुणाक 200 प्रिंट / स्क्रीन वीक से अधिक नहीं होगा। इस सम्बंध में स्पष्ट करना है कि यदि प्रदेश में 200 प्रिंट द्वारा फिल्म का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की अवधि एक सप्ताह के लिये होगी। यदि प्रिंट की संख्या को कम किया जाता है तो उसी अनुपात में सप्ताह की संख्या बढ़ जायेगी किंतु उक्त सीमा 200 प्रिन्ट वीक से अधिक नहीं होगी एवं उपभोग की पूरी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

(3) मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों के स्वामियों को इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के दौरान, एस.जी.एस.टी की धनराशि को घटा कर दर्शकों को टिकटों का विकय किया जायेगा।

(4) ऐसी फिल्मों में आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को, मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों के स्वामियों द्वारा अपने पास से, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी, जैसे इस नीति के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।

कृपया तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
03.06.2022
(ओ०पी० तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या– 90 (1)/11–6–2022–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ)

2– गार्ड फाइल।

03/06/22

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
उप सचिव